

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 239/15

संस्थापन दिनांक:-15/05/15

फाईलिंग नं. 233504002522015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

जियालाल पिता सुक्कू यादव
उम्र 32 वर्ष, निवासी रतेड़ाकला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 10.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 29.04.2015 को समय 07:30 बजे या उसके लगभग अजय के ढाबा के सामने मेन रोड रतेड़ा कला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 41 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 29.04.2015 को प्रधान आरक्षक बिसन सिंह मय स्टाफ वारंटी तलाश हेतु ग्राम रतेड़ाकला गया था। तभी उसे जरिए मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अजय के ढाबा के पास अवैध रूप से हाथ में तलवार लोहे की धारदार लेकर रिपोर्ट करने वालो को निपटाने का बोल रहा है एवं डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार तलवार लिये मिला। अभियुक्त द्वारा तलवार रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की तलवार जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 228/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2015 को समय 07:30 बजे या उसके लगभग अजय के ढाबा के सामने मेन रोड रतेड़ा कला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 41 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसन सिंह (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 29.04.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के अजय ठाकुर के ढाबे के सामने पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लिये मिला। जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 228/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही लोहे की तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 विशाल (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह दिनांक 29.04.2015 को प्रधान आरक्षक बिसन सिंह के साथ वारंटी तलाश में निकला था। तभी प्रधान आरक्षक साहब को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अजय के ढाबे रतेड़ाकला मेन रोड पर अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिसके पश्चात वह बिसन सिंह के साथ मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि बिसनसिंह ने उसके समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर तलवार की जप्ती की कार्यवाही की थी।

7 मोटू (अ.सा.-1) एवं अजय (अ.सा.-4) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी मोटू (अ.सा.-1) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी मोटू (अ.सा.-1) एवं अजय (अ.सा.-4) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर बिसन सिंह (अ.सा.-2) एवं विशाल (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में मुख्य परीक्षण में सूचना मिलने पर हमराह आरक्षक विशाल के साथ मौके पर जाना तथा अजय ठाकुर के ढाबे के सामने अभियुक्त से लोहे की तलवार जप्त करना, उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। विशाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह बिसनसिंह के साथ मौके पर गया था। अभियुक्त जियालाल लोहे के तलवार हाथ में लेकर लोगों को डरा रहा था तो बिसनसिंह के द्वारा अभियुक्त से तलवार जप्त की गयी, उसे गिरफ्तार किया गया और थाना आकर मामला पंजीबद्ध किया गया।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में रवानगी और वापसी सान्हा संलग्न नहीं किया गया है और न ही जप्ती पत्रक में नमूना सील अंकित की गयी है। इसके अलावा साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है। विशाल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था उस समय मौके पर बहुत भीड़ थी। बिसनसिंह के द्वारा मौके पर जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी। रहागीर साक्षी मौके से लगभग आधा किलोमीटर दूर मिले थे।

11 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर अभियुक्त से धारदार तलवार सीलबंद की गयी हो। साथ ही विवेचक साक्षी बिसनसिंह के कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा मौके पर अभियुक्त से तलवार जप्त करने के उपरांत उसकी नापजोप और मौके पर सीलबंद

किया गया हो और न ही इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट हो रहा है। अभिलेख पर वापसी रोजनामचा सान्हा संलग्न किया गया है परंतु रवानगी रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से मौके पर जप्त किया गया था। अतः जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद होने से अभियुक्त को उसका लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2015 को समय 07:30 बजे या उसके लगभग अजय के ढाबा के सामने मेन रोड रतेड़ा कला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 41 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त जियालाल को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः उसके जेल वारंट में अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो रिहा किये जाने की टीप के साथ उप जेल मुलताई प्रेषित किया जावे।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)